

डिक्री वमुकदमें ईब्दाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
 पीठारीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:- 83/2025

1. विशाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 3 नाथवाना तहसील संगरिया।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश नैण जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 3 नाथवाना तहसील संगरिया।

- वादीगण

वनाम्

1. इमरती पत्नी बनवारी लाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।
2. जगदीश पुत्र बनवारी लाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री राजेश बुढानिया वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री सुभाष कासनियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 1 इमरती द्वारा वादीगण के पक्ष में हुए हक-त्याग के संबंध में नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा करवाकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एमजेडी के खाता सं. 30/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में दर्ज 295/1518 हि. कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर वादीगण का खाता निम्नानुसार अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

| प.न | मु.न | कि.न |
|---------|------|---|
| 171/177 | 3 | 1/1/0.215 है ,1/2/0.038 है गे.मु.रा |
| 170/177 | 2 | 5/1/0.033 है } पूर्वी दिशा मे किला न 1 से 5/2/0.009 गे.मु.रा } चिपता उत्तर से दक्षिण लम्बा |
| | | कुल-0.295 है मय गे.मु |

नोट :- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज...~~...~~ नल...~~...~~ मुब्लिक...~~...~~ निल...~~...~~ बाबत्...~~...~~ निल...~~...~~ मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...~~...~~ अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...22.4.2023...को जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, संगरिया